Degree - II (D-II)
Paper - III
Date: 06/11/2020

Fundamental Duties

: मूल कर्तव्य :

संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के निदेशक तत्वों के रूप में शामिल किया। बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। 2002 ई० में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया।

भारतीय संविधान में मूल-कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देशों, जैसे - USA, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों को विशेषोल्लेख नहीं किया गया है। सम्भवतः जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को रखा गया है। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है।

स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें :

1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। उस वक्त श्रीमति इंदिरा गाँधी भारत के प्रधानमंत्री थीं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (1975-77) मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता के बारे में संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के अलावा कर्तव्यों को भी निभाना होगा। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लागू किया। इसके माध्यम से संविधान में एक नये भाग IV क को जोड़ा गया। इस नये भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद 51 (क) था, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को न जोड़ना ऐतिहासिक भूल थी, और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाये वह काम अब किया गया।

यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में आठ मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था।

Scanned with CamScanner

मूल कर्तव्यों की सूची

अनुच्छेद 51(क) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह

① प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत का आदर करें।

② भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें।

③ राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को आदर करें तथा उनका पालन करें।

④ देश की रक्षा करें।

⑤ भारत के सभी नागरिकों में समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।

⑥ राष्ट्र की मिश्रित संस्कृति की गौरवपूर्ण परंपरा का ध्यान रखें।

⑦ प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, उन्नति और जीवजंतुओं के प्रति सहानुभूति रखें।

⑧ वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जिज्ञासा वृत्ति का विकास करें।

⑨ सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें।

⑩ नागरिकों व्यक्तिगत व सामूहिक क्रिया कलाप द्वारा सभी क्षेत्रों में उच्च स्थान प्राप्त करें।

⑪ 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया।

मूल कर्तव्यों की विशेषताएं

मूल कर्तव्यों की विशेषताओं के संदर्भ में इस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है —

① इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य है तो कुछ नागरिक कर्तव्य। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना नागरिक कर्तव्य।

② ये मूल कर्तव्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है।

③ कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए है चाहे वे नागरिक हो या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए।

④ निदेशक तत्वों की भाँति मूल कर्तव्य गैर-न्यायोचित है।

संविधान ने इनके न्यायालय के जरिए लागू क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं की है। यानी इनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

मूल कर्तव्यों की आलोचना

संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों की निम्नलिखित आलोचना की जाती है —

(1) कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है क्योंकि इनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे- मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं हैं।

(2) कुछ कर्तव्य अस्पष्ट एवं आम व्यक्ति को समझने में कठिन हैं। उदाहरण के तौर पर इन शब्दों की भिन्न व्याख्या हो सकती है जैसे आदर्श, सामासिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि।

(3) अपनी प्रकृति के कारण इन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया। अतिरिक्त स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को न निभाने पर अर्थदंड व सजा की सिफारिश की थी।

(4) आलोचकों ने कहा कि संविधान के भाग 4A में इनको शामिल करना, मूल कर्तव्यों के मूल्य व महत्व को कम करती है। इन्हें भाग तीन के बाद जोड़ा जाना चाहिए था, ताकि ये मूल अधिकारों के समान रहते।

मूल कर्तव्यों का महत्त्व

तत्कालीन विधि मंत्री एच.आर. गोखले ने संविधान लागू होने के 26 वर्षों बाद मूल कर्तव्यों को शामिल करने में विलम्ब निम्नलिखित तरीके से बताया, "इतने साल के बाद सन 1975 की आपातकाल की हुई घोषणा से लोगों के एक वर्ग ने इनके प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई।"

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने का उचित ठहराते हुए तर्क दिया कि इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि "मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कमजोर करना नहीं होना चाहिए लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाये रखने के लिए मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।"

यहाँ तक कि विपक्ष ने संविधान में कांग्रेस

सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने की सुझाव स्वीकार किया। यद्यपि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई जनता सरकार ने आपातकाल के बाद इन मूल कर्तव्यों को समाप्त नहीं किया। नई सरकार ने 43वें संशोधन अधिनियम (1977) और फिर 44वें संशोधन अधिनियम (1978) के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) में अनेक परिवर्तन करना चाहती थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया।

वर्मा समिति की सिफारिशें

नागरिकों के मूल कर्तव्यों पर वर्मा समिति (1999) ने कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान की और कानूनी व्यवस्थाओं के लागू करने की व्यवस्थायें दी —

① राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम (1971) यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है।

② बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूलवंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वालों को दंड की व्यवस्था करते हैं।

③ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (1955) जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है।

④ भारतीय दंड संहिता घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से युक्त अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा।

⑤ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1976 किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर-कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है।

⑥ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) [illegible] [illegible] धर्म के आधार पर मत मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है।

⑦ वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है।

Girijesh Singh
Asst Professor
R.N. College, Pandaul, Madhubani
Dept - Political Science

Scanned with CamScanner